227

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश कौर्ट कैम्प रीवा म0प्र0

C.F. Rs. 20/-

अधिवक्ता श्री ... द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि. 30-11-2012

R-12-II/13

चंदिका प्रसाद पाण्डेय तनय गणेश प्रसाद पाण्डेय उम्र 66 वर्ष निवासी हर्दी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

--------निगरानीकर्ता

बनाम्

~~गजाधर प्रसाद नाई तनय सुदामा प्रसाद नाई उम्र 97 वर्ष निवासी ग्राम हर्दी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0~~

[1][क.] मु. सरस्वती वेवा पत्नी गजाधर प्रसाद नाई उम्र 75 वर्ष पेशा घरु कार्य,

[1][ख.] बंशगोपाल तनय स्व0 गाजाधर प्रसाद नाई उम्र 48 वर्ष पेशा खेती,

[1][ग.] रामपाल सेन तनय स्व0 गजाधर प्रसाद नाई उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,

[1][घ.] इन्द्रलाल तनय स्व0 गजाधर प्रसाद नाई उम्र 45 वर्ष पेशा खेती,

[1][ड.] लीलावती पुत्री स्व0 गजाधर प्रसाद नाई उम्र 50 वर्ष पेशा गृहणी

सभी निवासी ग्राम हर्दी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0,

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

संक्षेप मे प्रकरण :- यह कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1076 पर 13×12 वर्गफिट, 1062 पर 12×12 वर्गफिट अपने स्वत्व आधिपत्य की भूमि जो निगरानीकर्ता की है । निर्माण कराया गया है उक्त भूमियों से लगी निगरानीकर्ता की भूमि आराजी खसरा कमांक 1067 स्थित है जिसमे किसी तरह का निर्माण निगरानीकर्ता ने नही कराया उसका पूरा निर्माण अपनी उपरोक्त आराजी पर है जिस संबंध मे गलत आक्षेप लगाते हुए व्यवहार वाद कमांक 63ए/2004 दीपक शर्मा के

227

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक **R**–12–**II**/13 जिला–रीवा

चंद्रिका प्रसाद / गजाधर प्रसाद

(1)	(2)	(3)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री ललन पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसलीदार, सर्किल बनकुइयां, तहसील हुजूरं, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 60/अ 12/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 02.11.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	